an>

Title: Regarding environmental clearance of Pollavaram Project.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पोलावरम प्रोजेक्ट का काम कुछ वÂ◌ा◌ा◌ें से बंद था। इसलिए कि वहां पर एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है। अभी तक छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ग्राम सभा नहीं हुई है लेकिन, अभी जुलाई महीने में पर्यावरण मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार को लिखकर काम पुन: चालू करने के लिए निर्देश दिया है। यह कानून के विरुद्ध है क्योंकि अभी तक ग्राम सभा वहां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके पहले डैम के कंसट्रक्शन की परमिशन देना न्यायोचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि काम को रोककर बाकी जितने मसले हैं, उन पर फैसला किया जाए जिससे काम चालू हो सके।